IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

निजता का अधिकार : उभरते न्यायिक रूझानः

आ"ाुतोश पाण्डेय : एल.एल.एम. त्रितीय सेमेस्टर

प्रस्तावनाः

21वीं 'ादी का सबसे महत्वपूर्ण विकास मानव अधिकारों के प्रति जागरूक्ता है। संयुक्त रा"ट्र संगठन से इसका दायरा काफी विस्त्रित हो गया है। औद्योगिक क्रान्ति निजता का अधिकार औद्योगिक क्रान्ति तथा तकनीकी से निकता हुआ वाद है। इसे आधुनिक युग का महत्वपूर्ण राजनैतिक अधिकार और सिविल अधिकार समझना चाहिए। निजता के अधिकार को मानव अधिकार और मौकिल अधिकार की तरह माना जाना चाहिए। निजता के अधिकार के बारे में सबसे पहले लुइस ब्रेडिस और सैमुअल वॉरेन ने संयुक्त रूप से एक लेख में बताया था जिसे निजता का अधिकार कहा जाता है। ओल्मस्टेट बनाम यूनाइटेड स्टेट के वाद में कहा गया था कि निजता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है,जो कि सभ्य समाज के लोंगों का प्रदान किया गया है।

परिचयः

अधिकार प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा दी गयी स्वतन्त्रता है, जिससे कि नागरिक अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास कर सके। संविधान के अनुसार निजता का अर्थ है व्यक्तिगत जीवन घर, पत्र व्यवहार में किसी व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के रहने का तथा जीने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में नागरिक को उनके सर्वांगिण विकास हेतु मौलिक अधिकार मिलने ही चाहिए। किसी भी अधिकार का मौलिक उद्येष्य नागरिक को अधिकतम संतो"ा उपलद्ध कराना है, लेकिन नागरिक को अपने अधिकारों का उपयोग करने के साथ – साथ अपने कर्तव्यों को भी नही भूलना चाहिए। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के वक्तिगत अधिकार को भी 'ाामिल किया जा सकता है। बहुत सारे विचारकों ने निजता के अधिकार के बारे में अपने विचार रखे हैं, लेकिन निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। निजता का अधिकार एक मानव अधिकार हे। मानवाधिकरों की सार्वभौमिक घो"ाणा को अनुच्छेद 12 में कहा गया है, कि किसी की निजता में, परिवार, घर, पत्राचार, में मनमाना हस्तक्षेप नही कि जायेगा।

मानवाधिकार :

यह एक सामान्य अभिमत है कि मानव सर्वत्र विधिक मूल्यों की प्राप्ति की मांग करता रहा है, जो उसके व्यक्तिगत और सामुहिक कल्याण को सुनिष्चित कर सके। यह भी एक सामान्य अभिमत है कि ऐसे भागों को सामाजिक और नयसर्गिक 'ाक्तियों के द्वारा दुखदाई ढंग से विफल किया जाता रहा है, जिसका परिणाम होता रहा है – 'ो"ाण, उत्पीड़न, अत्याचार, तथा अन्य प्रकार के दुर्ब्यहार को रोकने के लिए मानवाधिकार का उदय हुआ। मानवाधिकार अब किसी एक राज्य का अंग नही है। मानवाधिकार के प्रति आदर तथा संरक्षण का आन्दोलन विष्व भर में फैल गया है। इससे कोई राज्य अछूता नही है। मानवाधिकार का महत्व बढता ही जा रहा है क्योकि अन्तर्रा"ट्रीय समुदाय के लोंगों में ऐसी जागरूक्ता बढ़ती जा रही है क्योंकि उन्हे एक ऐसे जीवन पद्धति चाहिए जो मानव गरिमा के रूप हो, उसकी आकांक्षा और आतुरता इस बात को लेकर है कि उसके लिए ऐसी जीवन पद्धति का जिम्मा लिया जाना चाहिए, तथा ऐसी जीवन पद्धति सुनिष्चित किया जाना चाहिए।

मानवाधिकार को विशे"ताएँ :

1. मानवाधिकार सार्वभैमिक होते हैं।
2. मानवाधिकार का अन्तर्रा"ट्रीय करण हो चुका हैं।
3. मानवाधिकार में नैतिकता निहित है।
4. मानवाधिकार एक सुरक्षित अधिकार है।
5. मानवाधिकार अन्तर्रा"ट्रीय कानून साधन है।
6. इसमें बहुआयामी अधिकार निहित है।
7. यह एक व्यक्तिगत और सामुहिक अधिकार है।
8. इस अधिकार में मानव गरिमा 'ामिल है।

भारत के संविधान के अन्तर्गत मानवाधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में 'ामिल किया गया हैः

संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12–35) में मौकिल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है, जिनमें से कुछ मौलिक अधिकार मानवाधिकार से जुड़े हैं, जैसे कि जीवन, स्वतंन्त्रता, समानता, और गरिमा का अधिकार। मानवाधिकार और मौलिक अधिकार दोनो ही व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है जबकि मानवाधिकार अन्तर्रा"ट्रीय स्तर पर प्राप्त होते हैं। केषवानन्द भारती बनाम केरल राज्य – एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसमें यह बताया गया कि मूल ढांचें का सिद्धान्त है क्या ? जिसमें संसद को मूल भूत तत्वों को बदलने से रोका गया ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य यह मामला पंजाब की सुरक्षा एंव भूमि स्वमित्व अधिनियम 1953 से उत्पन्न हुआ था जो भूमि स्वामित्व को कम करने के लिए बनाया गया था, जिसे गोलकनाथ परिवार द्वारा चुनौती दी गयी थी। जिनके पास पंजाब के जांलंधर में 500 एकड़ से अधिक जमीन थी।

किषोरचन्द बनाम हिमांचल प्रदेष संयुक्त रा"ट्रसंघ ने मानवाधिकार 'ब्द को नही परिभा"ात किया है। संविधान निर्माता मानवाधिकार की अवधारण से प्रभावित थे, संयुक्तरा"ट्रसंघ के मानवाधिकार में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अधिकार 'ामिल है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संविधान के भाग पअ में विद्यमान हैं।

मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार एवं उसकी परिभा"ा :'

निजता 'ब्द को व्यक्ति के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है जिसे वह लोगों में साझा करना चाहता है। नीजता का अधिकार एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंन्त्रता की रक्षा करता है, निजता का अर्थ है किसी व्यक्ति के नीजी जीवन विचारों और सूचनाओ को सुरक्षित करना तथा उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकना 'ामिल है। यह सभी मनु"यों के लिए निहित अधिकार है चाहे उनकी जाति लिंग, रा"ट्रीयता, भा"ा कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार होगा किसी को मनमाने ढंग से बन्दी नही बनाया जायेगा और न ही विरोध किया जायेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रकृया के अनुरूप आधारों के षिवा किसी को उसकी स्वतन्त्रता से बंचित नही किया जायेगा। स्वतन्त्रता का मतलब नागरिक स्वतन्त्रता से है सभी प्रकार की स्वतन्त्रता नागरिक स्वतंन्त्रता ही होती है। क्या कोई भी स्वतन्त्रता अपराधिक होती है ? स्वतन्त्रता व्यक्ति की अमूल्य थाती होती है। इसको लोग सभ्य व मर्यादित जीवन के रूप में देखते हैं, स्वतन्त्रता एक ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन अपना महत्व खो देता है महारा"ट्र राज्य बनाम श्री – पति दुबल नामक वाद में यह कहा गया था कि प्राण के अधिकार के अन्तरर्गत मरने का अधिकार भी 'ामिल है अतः भारतीय दण्ड संहति की धारा 309 आत्महत्या के प्रयत्न को अपराध मानती है मरने के अधिकार को छीनती है संविधान के अनुच्छेद 21 का उलंघन करती है श्रीपति दुबल के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त क अभी पु"ट उच्चतम् न्यायालय ने अपने निर्णय पी0रतिनम बनाम भारत संघ में की।

निजता के अधिकार का ऐतिहासिक मल्यांकन :

निजता के अधिकार का ऐतिहासिक मूल्यांकन बताताहै कि यह अवधारणा प्राचीन काल से ही मौजूद रही है 1890 लुईस ब्रेन्डिस और सैमुअल वारेन के द्वारा निजता के अधिकार पर एक लेख प्रकाषित किया गया जिसे निजता के अधिकार के रूप में जाना जाता है। भारतीय संम्बिधान में निजता का अधिकार स्प"ट रूप से उल्लेखित नही है परन्त 2017 में के0एस0 कुट्टा स्वामी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व व्यक्तिगत स्वन्त्रता के अधिकार का एक भाग माना है खड़क सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में उच्चतम् न्यायाय ने कहा है कि दैनिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत

सभी प्रकार के अधिकार आते हैं जिससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का निर्माण होता है जिनकी विवेचना अनुच्छेद 19(1) में की गयी है। अनुच्छेद 19(1) में स्वतन्त्रता के विषि"ट प्रजातियों की व्याख्या की गयी है तथा अनुच्छेद 21 में वे सभी आते हैं जो इनके अतिरिक्त अवषे"ा हैं।

मैग्ना कार्टा 1215 ए0डी0 :

मैग्ना कार्टा जिसे ग्रेट चार्टर के रूप में जाना जाता है, इंग्लैड के राजा जान द्वारा 15 जून 1215 को विंडसर के पास रननीमीड में प्रकाषित है जो कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने सम्राट की 'ाक्ति को कम कर दिया गया तथा यह सिद्धान्त स्थापित किया गया कि राजा तथा अन्य लोग कानून के नीचे होते हैं। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार से सम्बधित दस्ताबेज है।

आधुनिक युग :

मानव अधिकार की आधुनिक कानूनी अवधारणा इतिहास के विषि"ट काल खण्ड की उपज है। यूरोप में यह अवधारणा दार्षनिक, राजनैतिक और कानूनी मूल्यों से निकला है। यह अधिकार सभी मनु"यों पर समान रूप से लागू होता है, इस अधिकार को कोई भी व्यक्ति छीन नही सकता क्योंकि यह अधिकार मानव अस्तित्व से जुड़े हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह मानव अधिकार का सम्मान करे।

संयुक्त रा"टसंघ के उद्येश्य :

संयुक्त रा"ट्रसंघ का उद्येष्य राज्यों में 'ाान्ति व्यवस्था बनाये रखना तथा रा"ट्रों के बीच मैत्री पूर्ण सम्बन्धो को बनाये रखना तथा मानव अधिकारों सहित बैष्विक समस्यओं को हल करने में बढ़ावा देना है जबकि मानव अधिकारों कि सार्वभौमिक घो"णा मौकिल अधिकारों और स्वतन्त्रता को सार्वभौमिक रूप से संरक्षित करने की बात कहती है। संयुक्त रा"ट्रसंघ का लक्ष्य युद्धों को रोकना है तथा उनका समाधान करना है। संयुक्त रा"ट्रसंघ का उद्येष्य रा"ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को विकषित करना तथा एक दूसरे रा"ट्र की समस्या का हल बातचीत के द्वारा निकालना है। संयुक्त रा"ट्रसंध की महासभा में सषस्त्र संघ"ार्ा बच्चों के लिए महासचिव के विषि"ट प्रतिनिधि की स्थापना की है। मानवाधिकार आयोग ने महासचिव के एक विषे"ा प्रतिनिधि की स्थापना आन्तरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए किया है, इसके अतिरिक्त आयोग ने तमाम महत्वपूर्ण वि"ायों पर वि"ायक्त अधिदेष की स्थापना की है जैसे मनमाना निरोध, समकालीन मूलवंषीय रूप, मूलवंषीय भेद – भाव, विदेषी द्वे"ा आदि।

संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत निजता के अधिकार की प्रकृति :

संयुक्त राज्य अमेरिका में निजता का अधिकार संम्विधान में निहित है हलांकि इसे विषि"ट रूप से नही कहा गया है बल्की यह विभिन्न प्रकार के संषोधनो और न्यायायिक व्याख्याओं के द्वारा स्थापित किया गया है जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और मानव गरिमा की रक्षा करता है।

ब्रिटेन में निजता का अधिकार :

मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 8 के तहत प्रावधान दिया गया है जो निजी जीवन के सम्मान तथा पारिवारिक जीवन के सम्मान का अधिकार देता है, यह अनुछेच्द हमारे निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, घर, पत्राचार के सम्मान अधिकार की रक्षा करता है पिछले कुछ अर्थों में ब्रिटेन की अदालतों ने निजी कम्पनियों जैसे मिडिया संगठनो द्वारा किये गये निजता के उलेघन के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा के लिए विष्वास का कानून विकषित किया है।

भारतीय संम्बिधान में मौलिक अधिकार की विशे"ताएँ :

1. भारत का संम्विधान में मौलिक अधिकार देष की सर्वोच्च कानून द्वारा संरक्षित अधिकार है।
2. ये इसलिए इतने महत्वपूर्ण है कि क्योंकि कोई भी विधि अध्यादेष, रूढ़ी, आदेष, जो कि राज्य द्वारा बनाया गया है मौलिक अधिकार का हनन नही कर सकता।
3. विधायका कोई भी ऐसा संषोधन नही कर सकती जो संविधान द्वारा प्रदत्त प्प् का अतिक्रमण करती हो।
4. यह अच्छे जीवन के लिए मानव को दिया गया अधिकार है।

5. यह अधिकार पूर्ण नही है। इन पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये है।
6. अगर कोई नागरिक के मूल अधिकार का हनन करता है जो उस नागरिक को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता हैं।
7. मौलिक अधिकार मुख्यतः मानव अधिकार ही हैं।
8. कुछ ऐसे अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है जैसे अनुच्छेद 21 ऐसे अधिकार है जो केवल नागरिक को प्राप्त है जैसे अनुच्छेद 19 (1)

मौलिक अधिकार का वर्गीकरण :

भारत के सम्विधान में मौलिक अधिकार को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है लेकिन 44वें सम्विधान संषोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यह अब केवल कानूनी अधिकार है वर्तमान समय में भारत के संम्विाधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकार हैं:–

समानता का अधिकार :

अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेद – भाव का नि"ोध
अनुच्छैद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता
अनुच्छेद 17 स्पृष्यता का अन्त
अनुच्छेद 18 अपाधियों का अन्त

स्वतन्त्रता का अधिकार :

अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 20 अपराध के दो"ा सिद्धी के सम्बन्ध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा
अनुच्छेद 21 । षिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में नजरबन्दी के विरूद्ध संरक्षण

'ाो"ाण के विरूद्ध अधिकार :

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बल पूर्वक श्रम का नि"ोध
अनुच्छेद 24 कारखानो में बच्चों को रोजार देने का प्रति"ोध
धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25 अन्तः करण की स्वतन्त्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने और

प्रचार करने की स्वतन्त्रता :

अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबधन की स्वतन्त्रता
अनुच्छेद 27 किसी विषे"ा धर्म के प्रचार के लिए करों के भगतान की स्वतन्त्रता
अनुच्छेद 28 धार्मिक षिक्षा और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की आजादी का प्राविधान

सांस्कृतिक एवं 'ौक्षिक अधिकार :

अनुच्छेद 29 अपसंख्यकों के हितो की सुरक्षा
अनुच्छेद 20 इसके अन्तर्गत षिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रषासन करने का अल्पसंख्यक वर्गो का वर्णन

निजता के अधिकार के सम्बन्ध में भारतीय न्यायपालिका का दृ"टकोण :

निजता के अधिकार के अधिकार के मामले में खरक सिंह के उपर डकैती का आरोप गाया गया था परन्तु पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेष पुलिस विनियम के अधीन उत्तर प्रदेष पुलिस ने उसे निगरानी में रखा इस नियम के अधीन पुलिस रात्रि में उसके घर जाकर यह देखती थी कि वह घर में है या नही उच्चतम्

न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि रात्रि में पेटिषनर के घर पुलिस का आना उसके दैहिक स्वतन्त्रता का अतिक्रमण है किसी विधिक प्राधिकार के बिना व्यक्ति कि दैहिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना व्यैक्तिक स्वतन्त्रता का अतिक्रमण है अतः असम्वैधानिक है।

मौलिक अधिकारों के संम्बन्ध में प्रतिबन्ध के आधार :

1. भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता
2. राज्य की सुरक्षा
3. विदेषी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध
4. सार्वजनिक व्यवस्था
5. नैतिकता की 'ालीनता
6. न्यायालय की अवमानना

विधि द्वारा स्थापित प्रकिया :

ए0के0गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला 1950 के निवारक निरोध अधिनियम के ईद गिर्द घुमता था जो सरकार को रास्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को बिना सुनवाई के हिरासत में रखने की अनुमति देता था कमनि''ठ नेता ए0के0गोपालन ने इस कानून की सम्बैधानिकता को चुनौती दी थी एक मत से दिये गये फैषले में भारतीय सुप्रीमकार्ट ने कानून को बरकरार रखा और फैषला सुनाया कि अगर नागरिकों को रा''ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो उन्हे बिना सुनवाई हिरासत में रखा जा सकता है।

प्राकृतिक न्याय :

भारतीय संम्विधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त निजता का अधिकार स्वभाविक रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त से जुड़ा है जो इसका उंघन करने वाली किसी भी कार्यवाही में नि''पक्षता और उचित प्रकिृया सुनिष्चित करता है मेनका गॉधी मामले 1978 के वाद में भारतीय न्यायिक प्रविित्तयों ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की व्यापक, अधिक विस्त्रित व्याख्या पर जोर दिया जिसमें अनुच्छेद 14, 19, और 21 के सम्बन्धों और राज्य की कार्यवाहियों में प्राकृतिक सिद्धान्तो पर जोर दिया गया है।

टेलीफोन टैपिंग निजता के अधिकार का उलंघन :

पिपुल यूनियन फार सिविल लिवर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया इसे फोन टैपिंग वाद के नाम से जाना जाता है इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था टेलिफोन टैपिंग निजता के अधिकार का उलन्घन माना है यह मामला निगरानी करने की राज्य की 'ाक्ति और भारतीय सम्विधान के अनुच्छेद 21 में निहित है।

निजता का अधिकार एक पृथक अधिकार के रूप में :

के0एस0पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के0एस0पुट्टा स्वामी और अन्य याचिका कर्ताओं ने आधार योजना की संम्बैधानिकता को चुनौती दी थी यह तर्क दिया कि यह निजता के अधिकार का उलंन्धन करती है।

निक''ा :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को 'ामिल किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता निजता के अधिकार पर जोर देता है। भारतीय संम्विधान का अनृच्छेद एक बहुयामी दायरा है अपकृति विधि फौजदारी विधि साथ ही सम्पत्ति कानून निजता के अधिकार से संम्बन्धित है निजता का अधिकार लोगों के निजता से संम्बन्धित होता है।

सन्दर्भ सुची :

भारत का संम्विधान (जयनारायण पाण्डेय), मानवाधिकार (पी0टी0त्रिपाठी), केषवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ।प्त 1973 ॅण्बण 1461 गोलक नाथ वनाम पंजाब राज्य ।प्त 1967 ॅण्बण 1643 खरक सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 (1962) ए0के0 गोपालन बनाम मद्रास राज्य ।प्त 1950 ॅण्बण 27 मेनका गॉधी बनाम भारत संघ ।प्त 1978 ैण्ब्ण 597 ए0के0 गोपान बनाम महारा"ट्र राज्य ।प्त ैण्ब्ण 27 पिपुल यूनियन फार सिविल लिवर्टिज बनाम यूनियन आफ इण्डिया ।प्त 1996।